

मुख्य उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

9/12/25 पत्रावली पेश हुई। वफुल्फ परीक्षा
उपरो पत्रावली गलतकारदेशिका दिं. 21/12/25 के
अनुसार दिं. 23/12/25 को पेश हो।

23/12/25 पत्रावली पेश हुई। बार बार आवज
दिलाने के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके
आधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अतः मुं
नं. 223/2009 उन्वानी रामधन वर्ग वनाम
नागायण वर्ग का दावा वाकत इस्तफरार एक
घोषणा खातेदारी एवं स्यामी निषेधाज्ञा
अडम होजरी, अडम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली कंसल सुभार
होकर बाद तकरीन नम्बर से कम की
जाकर साखिल दफ्तल हो।

कारदेश खुले न्यायालय में पुनाफा

जाया/